निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या :– 192/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. श्रीमती राजवन्ती देवी पत्नी श्री छोटीलाल,
2. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल,

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम आंकेड़ा डूंगर तहसील आमेर, जिला जयपुर।

3. श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री मंगलचंद,

जाति मीणा निवासी एम–171, केन्द्रीय विहार, विद्याधर नगर, सेक्टर 6, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, पीठासीन अधिकारी श्री चिमन लाल मीणा, R.A.S.
2. श्री मदन लाल पुत्र श्री रामनाथ,

जाति ब्राह्मण, निवासी 128, छोटा अखाड़ा, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

3. श्री बनवारी लाल पुत्र श्री रामनाथ,

जाति ब्राह्मण, निवासी 174, गोविन्द नगर पश्चिम, आमेर रोड़, जयपुर।

4. श्री उमाशंकर पुत्र श्री रामनाथ,

जाति ब्राह्मण, निवासी ए–10, भैरव नगर, द्वितीय सुपर बाजार, जयसिंहपुरा खोर, जयपुर।

5. श्रीमती झूमकी देवी पत्नी श्री रणवीर,
6. श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री शिवकुमार,
7. श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री शैतान,
8. श्रीमती श्रवणी देवी पत्नी श्री प्रहलाद,
9. श्रीमती सजना देवी पत्नी श्री हरिनारायण,
10. श्रीमती धापा देवी पत्नी श्री प्रभूदयाल,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम बोबाड़ी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 बाबत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 181/2019 पुराना 139/2012 ब उनवानी राजवन्ती बनाम मदनलाल को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हरीश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय **दिनांक 13.07.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, जमवारामगढ़ के समक्ष प्रकरण संख्या 181/2019 पुराना 139/2012 ब उनवानी राजवन्ती बनाम मदनलाल विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी अप्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थिया ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् ग्राम नेकावाला पटवार हलक बोबाड़ी, भू–अभिलेख क्षेत्र ताला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित भूमि गत खसरा नं. 29 रकबा 86 बीघा 11 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 114 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा संख्या 115 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा संख्या 116 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा संख्या 117 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा संख्या 118 रकबा 21.86 हेक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 21.90 हेक्टेयर के बाबत पेश किया था, जिसमें वादी का वाद दिनांक 08.05.2018 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं दोनो पक्षों की मौजूदगी में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया गया।उक्त भूमि संबंधित एक अन्य वाद रतनप्रभा बनाम प्रभाती वाद संख्या 175/2012 एवं एक अन्य वाद 8/2013 राजवन्ती बनाम झूमकी को उक्त प्रकरण के साथ दिनांक 05.04.2021 को हमफीता कर दिया गया एवं उसी दिन पटवारी हल्का द्वारा बिना प्रार्थीगण को सूचना दिए बिना विपक्षीगण के कहे अनुसार अपने कार्यालय में बैठकर मौके के खिलाफ एवं विक्रय पत्र में दर्शित कब्जा मौका के विरूद्ध जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की गई। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.07.2021 को तहसीलदार द्वारा मनमर्जी के कुर्रेजात के खिलाफ प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश कर कुर्रेजात रिपोर्ट को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.07.2021 को कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस करने के लिए पीठासीन अधिकारी से निवेदन किया, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उसी दिन बहस सुनी गई, लेकिन पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से आदेश पारित नहीं किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.07.2022 को निवेदन किया गया कि उक्त पत्रावली वास्ते कुर्रेजात आपत्ति प्रार्थना पत्र की बहस पर है, जिस पर बहस सुनी जावे। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थिया के समक्ष उसके अधिवक्ता से कहा गया कि मैं कोई कुर्रेजात पर बहस नहीं सुनुगा। मैं उक्त पत्रावली का अंतिम निस्तारण करूंगा, तुम्हे अंतिम बहस करनी है, तो करो जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बार–बार निवेदन करने के उपरांत भी प्रारंभिक आपत्ति पर बहस नहीं सुनी गई। पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.09.2022 देते हुए कहा गया कि मैं उक्त पत्रावली में अंतिम बहस सुनुंगा, तुम्हे करनी हो तो करो, नहीं तो मैं अंतिम निर्णय कर दूंगा। दिनांक 02.09.2022 को प्रार्थिया न्यायालय के समक्ष गई तो उसने देखा कि विपक्षी संख्या 4 व 5 के पति पीठासीन अधिकारी के चेम्बर से हंसते हुए बाहर निकलते हुए प्रार्थिया को देखकर कहने लगे कि आप कुछ भी कर लो आज तो प्रकरण में हमारे पक्ष में अंतिम निर्णय होकर रहेगा। प्रार्थिया ने पीठासीन अधिकारी से आपत्ति

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पर बहस करने हेतु निवेदन किया तो पीठासीन अधिकारी नाराज हो गए और प्रार्थिया को ऐलानिया कहा कि उक्त पत्रावली में एमएलए साहब का बार-बार फोन आ रहा है, मुझे आज ही निस्तारण करना है। अप्रार्थीगण राजनैतिक एवं ऊंची रसूख वाले है, जो अपने धनबल व राजनैतिक पहुंच के आधार पर प्रकरण का निस्तारण अपने पक्ष में कराकर भूमि विक्रय पत्र के खिलाफ जाकर लेना चाहते है। प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में न्याय की आशा नहीं है और इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 5 व 6 के अधिवक्ता ने जरिये जवाब और बरवक्त बहस उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का मलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाता है।

8. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 181/2019 पुराना 139/2012 ब उनवानी राजवन्ती बनाम मदनलाल को सहायक कलक्टर बस्सी को अन्तरण किया जाता है। पक्षकारान प्रकरण में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31.07.2023 को न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी में उपस्थित हो।

9. सहायक कलक्टर बस्सी को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़ एवं सहायक कलक्टर बस्सी को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक **13.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर